(प्रपत्र—34) <u>कार्य का नाम</u> :- <u>सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

भू- वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्यों के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा। जिनको परियोजना के विस्तृत आगणन में लिया गया है।

अवर अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश

सहायक अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश

अधिश्रासी अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश

"TASK FORCE CERTIFICATE"

- 1- Lay out of the Land be followed as possible.
- 2- Heavy cutting filling be avoided as far as possible the technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- 3- Unstable slide- prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- 4- A comparison of various possible alignments with reference potential be made and the

alignment involving minimum crosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignement, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of roads. Broadly the measures to be taken have been identified as:-

- 1- Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- 2- Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned. Keeping in view the line of least resistance and the existence of joints. Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rocks. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for an online dispersion of chock waves. So that minimum disturbance is caused to the rock stratum as result of the blasting process.
- All cut slopes. Unstable hill side and slide prone crosion prone areas are to be provaled with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed be CRRI like sample vegetative Turing. Bitumen much treatment and slide treatment by Jute netting these simple vegetaive Turing seams to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be establised in the dandified slopes immediately after the excavation is made.
 - adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains culverts, breast walls retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slopes. Growth vegetative cover is stimualte in the disturbed hill slope above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants in certain selected unstable areas terraced Afforestation has also been protected as a stablised measure with good results.

Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an in built mechanism for tacking land shadow erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD', Border Roads Organisation and others engaged in construction of hill roads these should be observed

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्धारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतिया याचक

विभाग को मान्य है।

4-

िक्की अवर अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश सहायक अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश

अधिभासी अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश

(प्रपत्र-36)

कार्य का नाम :- सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण-पत्र

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अतः उसके किसी भी भाग को किसी भी अन्य विभाग सँस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेंगे और ऐसा किये जाने पर

संबंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।

- 6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख—रेख में करायेगा तथा इस संबंध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेंगा।
- 7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपित्त नहीं होगी।
- 8. बहुमूल्य वन सम्पदा से अच्छान्दित वन एवं जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय, केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

सिंचाई विभाग / प्रस्तावक एजेंसी द्वारा वन विभाग की नर्सिरियों / पौधों को एवं विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा

उपलब्ध करायी जायेगी।

- 10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तिरत करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तिरत करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न करने पर भी हस्तान्तिरत भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रकार का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
- 11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर ''एलाइंमेंट'' तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधत पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10.12.1982 में निहित आदेशों का पालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा, कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
- 12. वन भूमि मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सूची सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र० वन नियम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
- 14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ो का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मी0 एवं 30' से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्व है। इसी प्रकार बांज (वप) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा, या खम्भों को ऊँचा करके इससे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करियेगा।
- 17. लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पूर्ण पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते याचक विभाग को मान्य है।

िक्यों अवर अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश

सहायक अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश अधिश्रासी अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश